बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–146/2020 - 1100 /पटना, दिनांक– 31/3/2021

प्रेषक,

कृष्ण मोहन सिंह, बि0प्र0से0
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति/**विभागीय रुप से कराए गये कार्य की घटनोतर प्रशासनिक स्वीकृति** प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित योजनाओं के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति/**विभागीय रुप से कराए गये कार्य की घटनोतर प्रशासनिक स्वीकृति** दी जाती हैः–

क्रम	कार्य प्रमंडल	योजना का नाम	योजना की लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पाँच वर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	मुंगेर	**Lalkha- Dasrathpur Path Me 7.0 km RCC (1x3x2.5) Puliya ka Nirman**	**(1x3mx2.5 m)**	12.42000	00	12.42000
2	पुपरी	**Construction of Road & Protection work in Bajpatti Goat on the EVE off C.M Bihar Programe**	0.265	19.28000	00	19.28000
3	गोगरी	**NH-107 Ramnagar To Murasi**	2.00	54.66800	00	54.66800
4	महुआ	**Emergent Construction of Road Near Late Sitaram Singh House (End Point of RWD Road) To Helipad**	0.400	20.07100	00	20.07100
5	महनार	**Construction of Approach Road From Helipad To Main Road NH-103 at Kazari Khurd During Visit of Honb,le CM at Vaishali**	0.183	4.78000	00	4.78000
6	छपरा–1	**Rajkiya Chikitsa Mahavidyalaya Ewam Aspatal Chapra Ko NH-722 Ke Pass Road Se JodneWala By-Pass Path**	1.80	10.24000	00	10.24000
7	छपरा–1	**Mala Sherpur To Mala Bypass (Remaining Part)**	2.60	10.91422	00	10.91422
8	बगहा–1	**Screw Pile Bridge in Ahirwaliya To Samarlol Road At CH-3200m**		26.31400	00	26.31400

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रुप से परामर्शित

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल,** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रुप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन योजना के मूल संचिका में प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित योजनाओं का कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति अथवा **विभागीय रुप से कराए गये कार्य की घटनोतर प्रशासनिक स्वीकृति** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा योजना के मूल संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजनाओं U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–146 / 2020 के पृ0– 10/टि0 पर दिनांक–25.03.21 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

31.03.21

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–146 / 2020 1100 / पटना, दिनांक– 31/3/2021

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर / सीतामढ़ी / खगड़िया / वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.03.21

उप सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–146 / 2020 1100 / पटना, दिनांक– 31/3/2021

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, / संबंधित जिला पदाधिकारी, / संबंधित उप विकास आयुक्त / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग / **मुख्य अभियंता–1, 2, 3** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग / संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल / संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं **आई0टी0 नोडल पदाधिकारी** को MIS में अपलोड करने हेतु एवं **आई0टी0 मैनेजर** को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.03.21

उप सचिव

M.K.